राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5864/2024

मैसर्स मोनाक्ष फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक, निखिल कुमार के माध्यम से, पता- चालीस फूटा रोड, वार्ड नंबर 21 आनंद नगर कॉलोनी, खैरथल तहसील किशनगढ़ बास, अलवर, राजस्थान। (डीआईएन संख्या 08833070)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. यूनियन ऑफ इंडिया, मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर, एनसीआरबी, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ए ब्लॉक, सूर्या नगर, अलवर
3. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, प्रभाग-बी, ए ब्लॉक, सूर्या नगर, अलवर
4. अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रेंज-VIII, खैरथल, अलवर
5. राजस्थान राज्य, मुख्य आयुक्त, राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर, कर भवन, जयपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री कवल सिंह लोढ़ा

प्रतिवादी के लिए : श्री कार्तिक शर्मा, श्री संदीप तनेजा, एएजी के लिए

श्री राहुल लोढ़ा

(29/05/2025 को 04:39:32 PM पर डाउनलोड किया गया)

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

01/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत याचिकाकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने वाले दिनांक 10.07.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-कंपनी प्रबंधन और वित्तीय परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता को लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.05.2023 जारी किया गया था। विवादित आदेश 10.07.2023 को दो तिमाहियों के लिए रिटर्न दाखिल न करने के लिए पारित किया गया था। रद्द करने को रद्द करने का आवेदन दिनांक 21.08.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। अस्वीकृति का कारण यह था कि बाद की तिमाही के लिए भी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था और विलंबित जमा पर ब्याज का भुगतान बकाया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद दो तिमाहियों के लिए रिटर्न दाखिल कर दिया था और हालांकि देरी से, कर के साथ ब्याज भी जमा कर दिया था। उनका तर्क है कि रद्द करने को रद्द करने की अस्वीकृति बाद की चूक के लिए नहीं हो सकती थी, हालांकि अब इसका अनुपालन कर लिया गया है।

(29/05/2025 को 04:39:32 PM पर डाउनलोड किया गया)

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का कड़ाई से बचाव किया। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता छह महीने से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा। कर देरी से जमा किया गया था और देर से जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, अगली तिमाही में रिटर्न दाखिल करने में चूक हुई थी।

5. दिनांक 10.07.2023 का विवादित आदेश एक अस्पष्ट आदेश है। विवादित आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का व्यवसाय बंद हो गया है और फिर भी आदेश को एक सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विवादित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि 31.03.2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रिटर्न नोटिस के बाद दायर किया गया था। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 31.03.2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रिटर्न भी 10.07.2023 को दायर किया गया था।

6. पंजीकरण रद्द करने के आवेदन को दो आधारों पर खारिज कर दिया गया था: - पहला, कि कर के विलंबित जमा पर ब्याज लंबित था और दूसरा, कि 30.06.2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।

7. आवेदन की अस्वीकृति का दूसरा आधार कारण बताओ नोटिस में आधार नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि दो तिमाहियों के लिए कर के विलंबित जमा पर ब्याज अब जमा कर दिया गया है।

8. दिनांक 10.07.2023 और 21.08.2023 के आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादियों को वापस भेजा जाता है ताकि वे दिनांक 09.05.2023 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार कार्यवाही पर नए सिरे से, कानून के अनुसार और एक स्पष्ट आदेश पारित करके निर्णय लें।

(29/05/2025 को 04:39:32 PM पर डाउनलोड किया गया)

प्रतिवादी रिटर्न दाखिल करने और ब्याज के भुगतान के तथ्य पर विचार करेंगे।

9. याचिकाकर्ता के व्यवसाय को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से प्रभावित होने पर विचार करते हुए, प्रतिवादी मामले का शीघ्रता से निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

10. याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार),जे **(अवनीश झिंगन),जे**

मोनिका/आरज़ू/45

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: **हाँ**

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

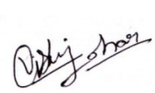

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(29/05/2025 को 04:39:32 PM पर डाउनलोड किया गया)